

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर  
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्र.एफ 7 / सहरिया / मा.मं.बैठक / 2019-20 /

दिनांक :

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,  
सहरिया विकास परियोजना शाहबाद,  
जिला बारां।

विषय :- राजकीय जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज हेतु पानी की पाईप लाईन बदलने की वित्तीय स्वीकृति।  
प्रसंग :- आपका पत्रांक 1374 दिनांक 04.06.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 8329-36 दिनांक 04.03.2021 द्वारा राजकीय जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज हेतु पानी की पाईप लाईन बदलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी एवं कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बारां को नियुक्त किया गया।

अधिकांश अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बारां द्वारा उक्त कार्य का तकमीना मय तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित शर्तों के अधीन संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 54.74 लाख की जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्र. स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशा. स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति		हस्तांतरित राशि(प्रथम किस्त)
			क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज हेतु पानी की पाईप लाईन बदलने	57.47	SE/24/ 15.03.2021	54.74	27.37

उपरोक्त कार्यो पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-22/2019-20 जयपुर दिनांक 06.11.2019 द्वारा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव करने हेतु प्राप्त राशि में से शेष रही राशि में से किया जायेगा।

शर्त :-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना अनुसार किया जावे। तकमीना के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस

विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति भिजवाई जावे।

4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटावे।
5. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. निविदा आदि कारणों से कार्य में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
7. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

—sd—  
(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S.

आयुक्त

दिनांक : 25/6/21

क्रमांक : यथोपरि/ 15966-73  
प्रतिलिपि :

1. निजी सहायक, मा.राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बारां जिला बारां।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-22/2019-20 जयपुर दिनांक 06.11.2019 द्वारा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव करने हेतु प्राप्त राशि में से शेष रही राशि में से स्वीकृत राशि रूपये 54.74 लाख की प्रथम किस्त 50 प्रतिशत राशि रूपये 27.37 लाख अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना शाहबाद, जिला बारां को हस्तांतरित करावें।
6. मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर